Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 3-2020] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 21 जनवरी, 2020
(प्रथम माघ, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 8/के०अ० 4/2016/धा० 3/2020, दिनांक 17 जनवरी, 2020 – हरियाणा राज्य में प्रत्येक जिला तथा उपमण्डल में मामलों का निर्णय करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों के रूप में गठित करने बारे।	15–16
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 9/के०अ० 4/2016/धा० 3 तथा 3क/2020, दिनांक 17 जनवरी, 2020– वाणिज्यिक अपील न्यायालय, गुरूग्राम के रूप में पदाभिहित करने बारे।	17–18
	3. अधिसूचना संख्या का०आ० 10/के०अ० 4/2016/धा० 3 तथा 3क/2020, दिनांक 17 जनवरी, 2020 – हरियाणा राज्य में प्रत्येक जिले में अपर जिला न्यायाधीश–I,II तथा III के न्यायालयों (सैशन डिवीजन, गुरूग्राम को छोड़कर) वाणिज्यिक अपील न्यायालयों के रूप में पदाभिहित करने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	19–20
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग-III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 जनवरी, 2020

संख्या का०आ० 8/के०अ० 4/2016/धा०–3/2020.– वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 4), की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 64/के०अ० 4/2016/धा० 3/2019, दिनांक 30 अगस्त, 2019 के अधिक्रमण में, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में प्रत्येक जिला तथा उपमण्डल में सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)/अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) और सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन, जिसकी पांच वर्ष से अधिक की सेवा हो) के न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अधीन उक्त न्यायालयों को प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन हेतु कम से कम तीन लाख रूपये से पचास लाख रूपये तक के विनिर्दिष्ट मूल्य के मामलों का निर्णय करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों के रूप में गठित करते हैं।

विजय वर्धन,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 17th January, 2020

No. S.O. 8/C.A. 4/2016/S. 3/2020.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Commercial Courts Act, 2015 (Central Act 4 of 2016) and in supersession of the Haryana Government, Administration of Justice Department, Notification No. S.O. 64/C.A. 4/ 2016/ S.3/2019, dated the 30th August, 2019, the Governor of Haryana after consultation with the High Court of Punjab and Haryana hereby constitute the Courts of Civil Judge (Senior Division)/ Additional Civil Judge (Senior Division) and Civil Judge (Junior Division, having more than five years service) in each District and Sub-Division in the State to be the Commercial Courts to decide the case of the specified value of not less than three lac rupees up to fifty lac rupees for the purpose of exercising the jurisdiction and powers conferred on the said Courts under the aforesaid Act.

VIJAI VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department.

57604—C.S.—H.G.P., Chd.